




~~अवध कृष्णव डी० महावामजी जाति~~ बनाम ~~मीहनलाल डी० महावामजी~~
~~लौदार नि० सुमेरपुर~~ जाति लौदार नि० सुमेरपुर
 किस्म मुकदमा वाजन्दा वाद नं० 60 सर् 19 (सुख 08)
 वाद अन्तर्गत धारा 53, 18 & RTA 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19-11-19	<p> वादीगण की ओर से अधिवक्ता की मनीज नामा द्वारा यह वाद पत्र विच्छ प्रतिवादी सं० 01 लगाय 08 तक के अन्तर्गत धारा 88 + 88 RTA 1955 में पैना अदालत किया। अतः यह वाद पत्र कार्यप्रय प्रावधानों के तहत पंजीकृत हो एवं प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी हो व सम्मन के साथ वाद पत्र की नकले भेजी जावे। मिसल वादों के अन्तर्गत हेतु दायें दिनांक 20-12-19 को पैना हो। </p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (पाली) </p>	<p>1535-42 25/11/19</p>
20/12/19	<p> पत्रावली वादी व उनके अधिवक्ता के प्राथमिक पर तलब की गई वादी व उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि इस विचारण प्रकरण की कार्यवाही का आगे चलाना नहीं चाहते हैं। हमने वादी व उनके अधिवक्ता की तथा कथित दलील पर विचारण करने के पश्चात् उक्त वाद पत्र का स्वीकार करते हुए इस प्रकरण की आगामी कार्यवाही का जजिमे विडोल स्वारीज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुनार होकर नम्बर संकप्त हो। </p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (पाली) </p>	<p> वाद चलाना नहीं चाहता अतः विडोल करवावे।  न. सुख </p>

